

Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

आइटम नम्बर - 2, डॉ. जितेन्द्र सिंह

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 जो दिनांक 6 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 878(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
 - (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 6 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 879(अ) में प्रकाशित हुए थे ।[Placed in Library, See No. LT 11253/17/24]
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
 - (दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
[Placed in Library, See No. LT 11254/17/24]

12.01 hrs

(Shri Bhartruhari Mahtab, *in the Chair*)

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगनसिंह कुलस्ते): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, खुर्दा का वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, खुर्दा के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
[Placed in Library, See No. LT 11255/17/24]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेल में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर की गई भर्ती के संबंध में हुई प्रगति संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11256/17/24]

- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) इंडियन रेलवे फ़ाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (दो) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (तीन) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (चार) इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (पांच) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (छह) इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (सात) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (आठ) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (नौ) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 11257/17/24]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति):

सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 37 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 5241(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 6148(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11258/17/24]

- (2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 5367(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा

जिसके द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11259/17/24]

- (3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 जो 16 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 43(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11260/17/24]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) का.आ. 4990(अ) जो दिनांक 20 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के एचएस कोड 71081200 के अंतर्गत सोने की आयात नीति शर्तों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 5226(अ) जो दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात नीति और नीति शर्तों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 5478(अ) जो दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत उड़द [बीन्स ऑफ दि एसपीपी विग्ना मुंगो (एल.) हेपर] आईटीसी (एचएस) 0713 31 10] और तूर/अरहर मटर (कजानस कजन) [आईटीसी (एचएस) 0713 6000] की "मुक्त" आयात नीति के 31.03.2025 तक विस्तार को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 55(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 73 के एचएस कोड 7318 के अंतर्गत कवर की गई स्कू की आयात नीति और नीति शर्तों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 22(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.31 में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 175(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत कवर की गई चांदी की नीति शर्तों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ. 5031(अ) जो दिनांक 23 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य अधिरोपण को अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ. 5115(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के माध्यम से खाद्य वस्तुओं के निर्यात को अधिसूचित किया गया है।

- (नौ) का.आ. 5182(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 10063090 के अंतर्गत गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए नीति शर्त शामिल किए जाने को अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ. 5183(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से कोमोरोस, मेडागास्कर, इक्विटोरियल गिनी, मिस्र और केन्या को गैर-बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 10063090 के अंतर्गत) के निर्यात को अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ. 5201(अ) जो दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का.आ. 5222(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डी-ऑयल्ड राइस ब्रान की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (तेरह) का.आ. 5317(अ) जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-दो के अध्याय 10 के क्रम संख्या 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (चौदह) का.आ. 5351(अ) जो दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वनस्पति सहित खाद्य सप्लीमेंट की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 11261/17/24]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) एसटीसीएल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसटीसीएल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11262/17/24]

- (4) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11263/17/24]

- (6) (एक) भारत व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारत व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 11264/17/24]
- (8) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 11265/17/24]
- (10) (एक) कैपेक्सिल (निर्यात संवर्धन परिषद), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) कैपेक्सिल (निर्यात संवर्धन परिषद), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 11266/17/24]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री राजीव चन्द्रशेखर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 11267/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cotton Textiles Export Promotion Council of India, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 11268/17/24]

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cotton Textiles Export Promotion Council of India, Mumbai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 11269/17/24]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Powerloom Development & Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Powerloom Development & Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2022-2023.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 11270/17/24]

- (5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the Jute Corporation of India Limited, Kolkata, for the year 2022-2023.
- (ii) Annual Report of the Jute Corporation of India Limited, Kolkata, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 11271/17/24]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the National Handloom Development Corporation Limited, Gautam Budhh Nagar, for the year 2022-2023.
- (ii) Annual Report of the National Handloom Development Corporation Limited, Gautam Budhh Nagar, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 11272/17/24]

- (c) (i) Review by the Government of the working of the Central Cottage Industries Corporation of India Ltd., New Delhi, for the year 2022-2023.
- (ii) Annual Report of the Central Cottage Industries Corporation of India Ltd., New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 11273/17/24]

- (d) (i) Review by the Government of the working of the National Textile Corporation Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (ii) Annual Report of the National Textile Corporation Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (6) Four statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 11274/17/24]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jute Products Development and Export Promotion Council, Kolkata, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jute Products Development and Export Promotion Council, Kolkata, for the year 2022-2023.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 11275/17/24]

- (9) A copy of the Notification No. S.O.5459(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 26th December, 2023 directing that the commodities specified in column (2) of the Notification shall be packed in Jute packaging material for supply or distribution in such minimum percentage as specified in corresponding entries in Column (3)

of the Notification with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette, upto the 30th June, 2024 under Section 3(1) of the Jute Packaging Material (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987.

[Placed in Library, See No. LT 11276/17/24]

- (10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section [4(b)] of Section 3 of the National Jute Board Act, 2008:-
- (i) S.O.3839(E) published in Gazette of India dated 31st August, 2023 making certain amendments in the Notification No. S.O.768(E) dated 19th February, 2021.
- (ii) S.O.152(E) published in Gazette of India dated 11th January, 2024 making certain amendments in the Notification No. S.O.3375(E) dated 29th September, 2020.

[Placed in Library, See No. LT 11277/17/24]

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 11278/17/24]

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2022-2023.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 11279/17/24]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री वी. मुरलीधरन जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) प्रवासन के लिए भारत केंद्र, नई दिल्ली के 1 अप्रैल, 2022 से 1 अगस्त, 2022 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रवासन के लिए भारत केंद्र, नई दिल्ली के 1 अप्रैल, 2022 से 1 अगस्त, 2022 तक की अवधि के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11280/17/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Ahmedabad, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 11281/17/24]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2022-2023.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 11282/17/24]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pulp & Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pulp & Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2022-2023.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 11283/17/24]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (1) and (2) of Section 16 read with section 17 and sub-section 3 of Section 25 of the Bureau of Indian Standards

Act, 2016.:-

- (i) The Rubber Gaskets for Pressure Cookers (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.5371(E) in Gazette of India dated 19th December, 2023.
- (ii) The Cycle and Rickshaw Tyres and Tubes (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.5323(E) in Gazette of India dated 13th December, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 11284/17/24]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Office of the Controller General of Patents, Designs, Trade marks and Geographical Indications, New Delhi, for the year 2022-2023.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the of the Office of the Controller General of Patents, Designs, Trade marks and Geographical Indications, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

[Placed in Library, See No. LT 11285/17/24]

- (10) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
- (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the India International Convention & Exhibition Centre Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.
 - (ii) Annual Report of the India International Convention & Exhibition Centre Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

[Placed in Library, See No. LT 11286/17/24]

***m10 संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान):** सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.5484(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 दिसम्बर को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध, जहां तक वे भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 से संबंधित उक्त अधिनियम की क्रम सं. 2 और अनुसूची में तत्संबंधी प्रविष्टियों से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11287/17/24]

- (2) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 09(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11288/17/24]

-

12.02 hrs